परियोजना का नामः– उत्तराखण्ड, जनपद देहरादून, मसूरी के पार्क एस्टेट (जार्ज एवरेस्ट हाउस, प्रयोगशाला एवं अन्य) का पर्यटन विकास हेतु प्रस्ताव।

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

उत्तराखण्ड राज्य देशं के प्राकृतिक सौंदर्य, आकर्षक बर्फ से ढके पर्वतों, ताजा और शुद्व हवा और पानी दुनिया भर से पर्यटको को आकर्षित करता है। जो स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। मसूरी जनपद देहरादून का खूबसूरत पर्यटक स्थल है। जो पर्यटको को आकर्षित करता है और यहॉ काफी संख्या में पर्यटको का आना जाना लगा रहता है। मसूरी जनपद देहरादून का एक पर्वतीय नगर है । जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से औसत उचांई लगभग 2000 मीटर है।

कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट एक ब्रिटिश सर्वेक्षक और भूगोलशास्त्री के निवास स्थल एवं प्रयोगशाला जिन्हें पार्क एस्टेट कहा जाता है। इसका निर्माण 1832 में किया गया था जिन्होंने 1830 से 1843 तक भारत के सर्वेक्षण जनरल के रूप में कार्य किया था। अपने सम्मान में नामित पृथ्वी पर सबसे उंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट के लिए जाने जाते है।

इसके अतिरिक्त अन्य निम्नलिखित पहलू भी हैं। जो निम्नवत् है।

- यह क्षेत्र पर्वत श्रृंखला की ऊचॉई पर होने के कारण यहॉ से उत्तर पूर्व में हिम शिखर सिर उठाये दृष्टिगोचर होते है तो दक्षिण में दून घाटी और शिवालिक श्रेणी दिखाई देती है। देहरादून शहर का पूरा भव्य दृश्य देखा जा सकता है इसी कारण यह शहर पर्यटकों के आकर्षण को और भी बढ़ा देता है दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए यह लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल है।
- परियोजना का ट्रेकिंग रूट पर्वत श्रंखला की ऊँचाई पर अवस्थित होने के कारण वन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों का भ्रमण मार्ग भी है।
- परियोजना का उदेश्य स्थानीय ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों को विकसित करना तथा गाँवों का विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देना है।
- यह क्षेत्र देहरादून नगर से आने वाले पर्यटको के लिए घूमने का काफी महत्तपूर्ण स्थान है। मसूरी भ्रमण में आने वाले अधिकांश पर्यटक यहॉ पहुॅचते हैं।
- परियोजना के कार्य से पर्यटक निकटवर्ती पर्यटक स्थलों से भी परिचित होंगें।
- उत्तराखण्ड राज्य का राजस्व मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर करता है। परियोजना के कार्यों से पर्यटकों के आमद से राज्य के राजस्व में वृद्वि होगी।

परियोजना के अन्तर्गत जॉर्ज एवरेस्ट को ऐतिहासिक पर्यटक धरोहर के रूप में विकसित करना है। जिसमे 0.8886 है0 भूमि का होना अति आवश्यक है। तथा परियोजना के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रजाति का पातन नही किया जाना है।

अतः उपरोक्त प्रयोजन हेतु **5 प्रतियों में प्रस्ताव गठित कर** स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

नरेश चमोली
वन संरक्षण विशेषज्ञ
डी0एम0यू0 देहरादून

प्रयोक्ता एजेंसी
(पुरूषोत्तम)
निदेशक अवस्थापना